दलितों व शोषितों का पाक्षिक पत्र

हमायती

सम्पादक–डॉ0 सोहनपाल सुमनाक्षर

❑ वर्ष 63 ❑ अंक-17 ❑ दिल्ली ❑ जून, 2025 (प्रथम) ❑ मूल्य : 2 रु.

डॉ. अम्बेडकर और दलितोत्थान

• डॉ. सुशील कुमार बैरवा

डॉ. अम्बेडकर का सम्पूर्ण दर्शन मूलतः एक ही लक्ष्य के इर्द–गिर्द घूमता है। वह है अछूतोद्धार या दलितोत्थान। इसका अर्थ है कि डॉ. अम्बेडकर अस्पृश्य, दलित, शूद्र, अति शूद्र, पिछड़े तथा उपेक्षित समाज का उद्धार अथवा उत्थान चाहते हैं और उसकी – शोषण, अन्याय और अत्याचार से मुक्ति चाहते हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु डॉ. अम्बेडकर ने हिन्दू–समाज की उन दो व्यवस्थाओं जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का घोर विरोध किया जो अन्त्यजों की दुर्दशा और असहाय स्थिति के लिए उत्तरदायी है। इसके लिए उन्होंने अस्पृश्य समाज को सूत्र प्रदान किया वह है, **'शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो।'**

डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक दर्शन अथवा सामाजिक विचारों की मुख्य विशेषतायें निम्न हैं।

1. जाति–प्रथा और वर्ण–व्यवस्था का विरोध।

2. अस्पृश्यों को आह्वान – शिक्षित बनो, आन्दोलन संगठित हो, चलाते रहो।

3. हीन भावनाओं एवं आदतों का परित्याग।

4. सामाजिक – क्रान्ति।

5. अस्पृश्यों में जन–जागृति लाने का प्रयास।

6. अस्पृश्यों के लिए राजनीतिक सत्ता अर्थात् विशेष प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का प्रयास।

7. धर्मान्तरण।

8. भारतीय संविधान और अस्पृश्यता निवारण।

''देश का सम्पूर्ण भविष्य उसके बुद्धिजीवी वर्ग पर निर्भर होता है। यह बुद्धिजीवी वर्ग ईमानदार, स्वतंत्र और निष्पक्ष है तो उस पर भरोसा किया जा सकता है कि संकट की घड़ी में वह पहल करेगा और उचित नेतृत्व प्रदान करेगा।''

डॉ. अम्बेडकर एक स्वतंत्र विचारक, अद्भुत विद्वान् तथा भारत की महान् विभूति थे। उनके विद्वतापूर्ण भाषणों, व्याख्यानों और ग्रन्थों में उनके क्रान्तिकारी विचारों का परिचय मिलता है। राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक सुधार हेतु उनकी जो आन्तरिक भावना थी, उसे उन्होंने शब्दों के माध्यम से पुस्तकों और व्याख्यानों में प्रस्तुत किया। उनकी पुस्तकों एवं व्याख्यानों से लिये गये उनके विचारों का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि वे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे।

डॉ. अम्बेडकर उस समय सर्वाधिक शैक्षणिक योग्यता वाले एकमात्र विद्वान थे। उन्होंने अमेरिका के कोलम्बिया विश्वविद्यालय से एम.ए., पीएच.डी. तथा लन्दन विश्वविद्यालय से एम.एससी. डी. एससी. एवं बार एट लॉ की उपाधि प्राप्त की। इससे विदित होता है कि समाज के विभिन्न विषयों एवं क्षेत्रों का उन्हें पर्याय ज्ञान था और किसी भी क्षेत्र में रही कोई कमी उन्हें वैचारिक अभिव्यक्ति से रोक नहीं पाती थी।

सामाजिक विचार

वर्ण–व्यवस्था का विरोध

डॉ. अम्बेडकर ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था। अम्बेडकर भारतीय सामाजिक–व्यवस्था के प्राचीन स्वरूप को शोषण युक्त और अन्यायपूर्ण मानते थे। प्राचीन और परम्परागत हिन्दू समाज चार वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र) में विभाजित था। वेद, ब्राह्मण, स्मृतियों, महाकाव्यों में चारों वर्णों के जाति आधारित कार्य थे। अम्बेडकर ने वर्ण–व्यवस्था के नियम को शोषणकर्त्ता, अन्यायपूर्ण, अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक और अपमानजनक माना तथा इसकी कटु आलोचना की। अम्बेडकर की मान्यता थी कि वर्ण–व्यवस्था में श्रम विभाजन कोई वैज्ञानिक और तार्किक व्यवस्था नहीं है। अम्बेडकर ने वर्ण–व्यवस्था की तुलना, प्लेटो

(शेष भाग... पृष्ठ 4 पर)

सम्पादकीय

भारतीय दलित साहित्य अकादमी की खोजों ने इतिहास ही बदल डाला

• डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर

अक्सर कहा जाता है कि हर व्यक्ति अपने इतिहास से सीखता है पर जिनका कोई इतिहास ही न हो, वह किससे सीखेगा, जय–पराजय का सबक कहां से लेगा और अपने प्राप्त इतिहास के आधार पर अपने वर्तमान व भविष्य के जीवन का निरधारण कैसे करेगा?

दलितों का अपना कोई प्रमाणिक इतिहास नहीं है जो उनके पूर्वजों के शौर्य, पराक्रम, साहस, और गौरवमयी इतिहास पर प्रकाश डाल सके और उन्हें समाज के सर्वोच्च स्थान पर स्थापित कर सके। पर अद्यतन सच्चाई यही है कि 'दलित' जिन्हें अछूत, अस्पृश्य, दास–दस्यु, राक्षस, अनार्य और 'शूद्र' कहा गया, उनका कोई प्रमाणिक इतिहास उपलब्ध नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसका कोई 'इतिहास' रहा न हो, क्योंकि भारत में जब हर व्यक्ति, हर जाति, हर वर्ण, हर कौम का अपना इतिहास मौजूद है तो फिर 'शूद्र' कहे जाने वाले चतुर्थ वर्ण 'दलित' का इतिहास कहां विलुप्त हो गया? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर दलित साहित्यकारों, दलित विद्वानों को विचार करके अपने दलित इतिहास को जो इधर–उधर बिखरा पड़ा है, उसे एकत्रित कर एक प्रमाणिक इतिहास के रूप में स्थापित करना होगा। ताकि उन मनु व्यवस्थावादी, मनुस्मृतिकारों की पोल पट्टी खुल सके जिन्होंने शूरवीर दलितों के गौरवमयी इतिहास को नष्ट करके वर्ण व्यवस्था के नाम पर उन्हें चतुर्थ वर्ण–'शूद्र' का नाम देकर उन्हें गुलामी के यातनाघर में धकेल दिया, जहां से अपने शिक्षा, दीक्षा, शस्त्र–शास्त्र के अधिकारों के छिन्न जाने पर उन पर कुछ बोलना, तर्क–वितर्क करना, नानुक्कर करना, सीधा मौत को बुलाना था, जिसकी चीख–पुकार को न तो कोई सुनने वाला था और न ही कोई दया या न्याय भाव दिखाने वाला था।

दलितों के इतिहास पर बाबा साहब डा. अम्बेडकर और बाबू जगजीवन राम जी ने भी गहन अध्ययन किया और दलितों के इतिहास पर अपने विचार व्यक्त किये। बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने शूद्रों–अछूतों के विषय में 'हू वर दा शूद्राज' पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने शूद्रों का सम्बन्ध वर्ण व्यवस्था के दूसरे क्षत्रिय वर्ण से जोड़ा जिन्हें युद्ध में पराजित होने पर वर्ण व्यवस्था के चौथे पायदान–'शूद्र वर्ण' में धकेल कर उन पर शास्त्र–शस्त्र सम्बन्धी कई पाबन्दी लगाकर उन्हें घृणा का पात्र बना दिया गया। बाबा साहब डा. अम्बेडकर के इन शोधपूर्ण विचारों में सच्चाई होते हुए भी वर्ण व्यवस्था के हिमायती उनके विचारों से सहमत नहीं हैं, वहीं दलित वर्ग के विचारक भी शूद्रों के पूर्वजों के क्षत्रिय होने की बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

बाबू जगजीवन राम जी शूद्रों के इतिहास के विषय में स्पष्ट कहते हैं कि उनके इतिहास को जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया और मिटा दिया गया, पर मनु

(शेष भाग... पृष्ठ 3 पर)

भारतीय दलित साहित्य अकादमी के प्रकाशन

विश्व धरातल पर दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
अंधा समाज और बहरे लोग	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
सिन्धु घाटी बोल उठी	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
अब नहीं रहेंगे हाशिये पर	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
अम्बेडकर शतक	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
विश्व विभूति डा. अम्बेडकर	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
दलित लेखक परिचय ग्रंथ (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	250/–
बुद्धा दू अम्बेडकर (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	150/–
दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
अम्बेडकर दर्शन	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
हमारे संत और समाज सुधारक	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
धर्म और समाज	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
आदिम जाति चमार (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	300/–
दलित उद्घोष	डा. सुमनाक्षर	100/–
दलित साहित्य की हुंकार–सात समन्दर पार	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
युगपुरुष बाबू जगजीवनराम	डॉ. सुमनाक्षर	200/–
प्राचीन आदिम जाति वाल्मीकि (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
मेरे साक्षात्कार–मेरा जीवन संघर्ष	डा. सुमनाक्षर	300/–
सभ्यता, संस्कृति, समाज और साहित्य	आचार्य गुरुप्रसाद	100/–
भारत रत्न डा. बी.आर. अम्बेडकर	राजमल 'राज'	100/–
मूल भारती से दलित	राजमल 'राज'	100/–
अम्बेडकरवाद बनाम सामाजिक परिवर्तन	राजमल 'राज'	100/–
दलित साहित्य–दशा और दिशा	डा. माता प्रसाद	200/–
दलित साहित्य से सामाजिक परिवर्तन	डा. माता प्रसाद	100/–
भारत की गुलामी के 22 सौ साल	प्रदीप कुमार मौर्य	250/–
बौद्ध धर्म–गया से अयोध्या तक	प्रदीप कुमार मौर्य	120/–
गांधी, अम्बेडकर और दलित	प्रदीप कुमार मौर्य	100/–
हम एक हैं	डा. माता प्रसाद	100/–
रैदास से संत शिरोमणि गुरु रविदास	डा. माता प्रसाद	100/–
ताकि सनद रहे	डा. सुमनाक्षर	200/–
Who's who Dalit Writers in India	Dr. Sumanakshar	500/-
Who's Who–International & National Awardees of B.D.S.A.	Dr. Sumanakshar	500/-

पुस्तक मंगाने के लिए अग्रिम राशि निम्नलिखित अकादमी के खाते में भेजें

Bharatiya Dalit Sahitya Akademi
A/c No. - 2592101012292 (Canara Bank)
IFSC - CNRB0002592
Branch - Model Town, Delhi

सम्पादकीय का शेष....भारतीय दलित साहित्य अकादमी की खोजों ने इतिहास ही बदल डाला

व्यवस्था के वर्णवादी उनके उस इतिहास को नहीं मिटा सके जो उनके सबसे प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद में आज भी झलकता ह। वहां आर्य–अनार्य युद्ध के रूप में 'दशराज' युद्ध का वर्णन है जहां अनार्य राजा क्षत्रिय राजाओं से सीधा युद्ध लड़ रहे हैं और उन्हें पराजित करके अपनी शूर वीरता व गौरवमयी इतिहास की अमिट छाप छोड़ते हैं।

भारतीय दलित साहित्य अकादमी में स्थापना के प्रथम सम्मेलन का 6 अगस्त, 1984 को नई दिल्ली में उद्घाटन करते हुए बाबूजी ने कहा कि शूद्र–दलितों का शौर्य व गौरवमयी इतिहास सवर्णों के वेद–शास्त्र व अन्य ग्रन्थों में बिखरा पड़ा है। नियमबद्ध रूप से उसे जला कर नष्ट कर देने के बावजूद वह आज भी उन ग्रन्थों में झांकता नजर आ रहा है। दलित साहित्यकारों को अपना इतिहास खोजते हुए सवर्णों के उन शास्त्रों का गहन अध्ययन करके अपने दलित इतिहास के पन्ने, जो इधर–उधर पड़े हैं, उन्हें जोड़कर उन्हें अपना नया गौरवमयी दलित इतिहास लिखना होगा। दलितों के इतिहास को मिटाने के लिए उन पर मनुस्मृति के मानव विरोधी दण्ड विधान का इस्तेमाल करते हुए उन्हें शिक्षा, शस्त्र व शास्त्र के अधिकारों से वंचित करके उन्हें आजीवन दास के रूप में अपने सवर्ण मालिक के साथ बांध दिया गया, जहां उनका अपना कोई स्वतंत्र जीवन नहीं था।

मालिक के घर की जूठन खाना, उनके फटे पुराने–उतरन के कपड़े पहनना और जमीन पर पुआल बिछाकर सोने का कठोर प्रावधान रखा गया था।

हजारों साल तक मनुस्मृति दंड विधान के आधार पर वह तथाकथित शूद्र अपनी इस दशा को भाग्य, भगवान, पाप–पुण्य, धर्म–कर्म, पुर्नजन्म का अभिशाप मानकर सहता रहा, क्योंकि मनुवादी वर्ण–व्यवस्था का विरोध करने पर उसके लिए निर्धारित दण्ड विधान था जिनके अनुसार अपने शरीर का अंग भंग कराने, मुंह, नाक, कान में पिघलता गरम शीशा डालने की असहनीय पीड़ा का वह भागी नहीं बनना चाहता था, पर फिर भी शूद्र–दलितों के कुछ तो ऐसे वीर पुरुष, नायक–नायिका थीं जिन्होंने शम्बूक ऋषि की तरह उस ब्राह्मणवादी मनु वर्ण व्यवस्था प्रथाओं का विरोध किया, भले ही उन्हें अपना सिर कटाना पड़ा था।

बाबू जगजीवन राम जी दलित साहित्यकारों व लेखकों का आह्वान करते हुए कहा कि हमें सदियों से दबे पड़े व वेदशास्त्रों में झांक रहे, विनिष्ट किये गये दलितों के गौरवमयी इतिहास को कड़ी दर कड़ी जोड़कर अपना नया दलित इतिहास बनाना है। वह दलित इतिहास ही ब्राह्मणवादी मनुस्मृतिकारों के मुंह पर एक नई चपेट होगी, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था के नाम पर शूद्र अछूतों की धन–धरती, भू–सम्पदा हड़पकर उनको शिक्षा ग्रहण करने और शास्त्र पढ़ने–पढ़ाने पर पाबंदी लगाकर हजारों साल से पंगुओं, बलहीन, गुलाम व दास बना रखा है। दलित साहित्यकारों को अब इन्हीं आधारों पर खोज करके अपने दलित इतिहास की रचना करनी है। यह उनके लिए चुनौतिपूर्ण कार्य जरूर है, पर मुझे विश्वास है कि भारतीय दलित साहित्य अकादमी के परचम तले डा. सोहनपाल सुमनाक्षर के कुशल नेतृत्व में वे अपने दायित्व को पूरा कर सकेंगे, ऐसी मुझे तुम सबसे आशा है।

बाबू जगजीवन राम जी के इस अद्भुत आह्वान के बाद देश के दलित साहित्यकार और लेखकों ने भारतीय दलित साहित्य अकादमी के परचम तले डा. सुमनाक्षर के निर्देशन में ब्राह्मणवादी साहित्य–वेदशास्त्र, मनुस्मृतियों, गौतम स्मृतियों, महाकाव्यों को खगालना शुरू किया। इसके साथ ही अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा उत्खनन से प्राप्त प्राचीन सभ्यताओं सम्बन्धी ग्रन्थों का भी गहन अध्ययन किया गया कि जिनके आधार पर वर्ण व्यवस्था के नाम पर यहां के शूरवीर, पराक्रमी, श्रमजीवी, कुशल शिल्पी दस्तकार, कलाकार, प्रतिभाशाली लोगों को 'शूद्र' वर्ण की चौथी श्रेणी में डालकर सदैव के लिए उन्हें 'गुलाम' बना कर रखा गया, और इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ थोड़ा भी कुछ बोलने पर उन्हें अनेक यातनाओं का शिकार बनाया गया ओर मौत के घाट उतार दिया गया। उनकी सुन्दर महिलाओं को भी अपने भोग–विलास के लिए अपने घरों में बन्दी बना कर रखा गया। इसके लिए शास्त्र सम्मत नारा दिया गया–'स्त्रीशूद्रो नाधीयताम्'–स्त्री व शूद्रों की शिक्षा पर पाबन्दी है। इससे अनपढ़ रहने पर वे न तो उनके शास्त्रों पर उंगली उठा सकेंगे और न ही किसी प्रकार की और चुनौती पैदा कर सकेंगे। पर बाबा साहब डा. अम्बेडकर द्वारा निर्मित समतावादी भारत के संविधान के देश में लागू होने पर उस ब्राह्मणवादी सोच पर ही पाबन्दी लग गई और उनके शस्त्र व शास्त्र नक्कारा हो गये।

भारतीय दलित साहित्य अकादमी की स्थापना के बाद अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. सोहनपाल सुमनाक्षर के निर्देशन में दलित इतिहास की खोज पर कार्य शुरू हुआ और 2–3 वर्षों में ही उसके परिणाम उजागर होकर सामने आये। दलित इतिहास पर पहला खोजपूर्ण ग्रन्थ–**'सिन्धु घाटी की सभ्यता के सृजक–शूद्र व वणिक'** दलित साहित्यकार डा. नवल वियोगी का सामने आया, जिसने ब्राह्मणवादी सभी बातों को नकारते हुए देश के शूद्र दलितों को सिन्धु घाटी की सभ्यता, जो अनार्य सभ्यता थी, उसके निर्माणकर्ता व सृजक शूद्रों को ही साबित करते हुए उन्हें ही इस सभ्यता का कुशल निर्माता, वास्तुकार, शिल्पी एवं नगर सभ्यता का मुख्य रचनाकार बताया गया था। दलित इतिहास की इस खोज ने पासा ही पलट दिया और तथाकथित शूद्रों को इस देश की सभी सभ्यताओं का रचनाकार, स्वप्नदृष्टा, और कुशल हस्तशिल्पी साबित कर दिया। इस ग्रंथ ने दलितों की अस्मिता और गौरव को बढ़ाने का महान कार्य किया। इसके बाद तो सिन्धु घाटी सभ्यता के

बाद मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, पीलीबंगा, सतवीरा सभ्यताओं को 'अनार्य' सभ्यता माने जाने लगा जिससे दलित शूद्रों का नया गौरवमयी नया इतिहास सामने आया। विश्व के सभी इतिहासकारों ने भी मान लिया कि ये सभी अनार्य (शूद्रों) की सभ्यता में थी जिन्हें विदेशी आर्यों ने आक्रमण करके इन्हें नष्ट–भ्रष्ट कर दिया।

इसके बाद तो दलित साहित्यकारों ने दलितों–अनार्यों पर नई–नई खोज करके दलित इतिहास की अभिवृद्धि के साथ साथ देश के ब्राह्मणवादी इतिहास को ही पलट दिया। डा. अवन्तिका प्रसाद मरमट ने **नाग जाति का इतिहास** ग्रन्थ लिखकर अछूत–अनार्यों का सम्बन्ध नागों से जोड़कर एक नये इतिहास का खुलासा किया। नागौर, अनन्तनाग, शेषनाग को परस्पर जोड़ते हुए इस दलित नाग सभ्यता का सम्बन्ध भारत की सभ्यता के साथ दर्शाया गया है। प्रसिद्ध दलित साहित्यकार श्री सुन्दरलाल सागर ने आर्य व अनार्यों के संघर्ष पर तथ्यात्मक ग्रन्थ लिखकर बताया कि छल व कपट से आर्यों ने कैसे अनार्य सभ्यता को देश में नष्ट किया। प्रसिद्ध दलित साहित्यकार श्री मेहर सिंह 'पूषण' ने अनार्यों के स्वर्णकालीन इतिहास पर ग्रन्थ लिखकर सिद्ध किया कि अनार्य सभ्यता आर्य सभ्यता से महान थी। दलित साहित्यकार डा. एस. एल.धनी ने **'समुद्र मंथन'** पर ऐतिहासिक ग्रन्थ लिखा, जिसमें दर्शाया गया है कि 'समुद्र मंथन' के समझौते को आग्र देवताओं ने तोड़कर अनार्य देवताओं के साथ किस तरह अन्याय किया और अनार्यों के हिस्से में आये 'अमृत के घड़े' को वे चुराकर भाग गये, और आज भी वे प्रयाग में उसी अमृत घड़े के नाम पर 'महाकुंभ' महासम्मेलन करते झूठी वाहवाही लूटते हैं जबकि महाकुंभ का अमृत घड़ा दलित–अनार्य–शूद्रों की धरोहर है, सम्पत्ति है, सम्पदा है, विरासत है। स्वयं डा. सोहनपाल सुमनाक्षर ने दलितों के इतिहास को अपनी पुस्तक **'सिन्धु घाटी बोल उठी'** में समेटा है जहां से दलित इतिहास अपनी सत्यता के साथ उजागर होता है।

भारतीय दलित साहित्य अकादमी के परचम तले बाबू जगजीवन राम जी के आह्वान पर और अनेक ग्रन्थ लिखे गये हैं जो दलित इतिहास, दलित कला, दलित संस्कृति, दलित धर्म, दलित अस्मिता के रूप में हमारी धरोहर हैं और जिसने सभी ब्राह्मणवादी, असत्य पर आधारित मान्यताओं को झुठलाकर दलित सहित्य के क्षेत्र में नया इतिहास रचा है। •

पृष्ठ 1 का शेष...डॉ. अम्बेडकर और दलितोत्थान

की सामाजिक व्यवस्था और प्लेटो के न्याय से की है। अम्बेडकर ने कहा कि जो दोष प्लेटो के न्याय और सामाजिक–व्यवस्था में थे, वही सारे के सारे दोष भारत की वर्ण–व्यवस्था में विद्यमान हैं। डॉ. अम्बेडकर की मान्यता थी कि व्यक्ति की क्षमतानुसार उसके वर्ग या वर्ण का निर्धारण एक अतार्किक और अवैज्ञानिक अवधारणा है। वर्ण–व्यवस्था व्यक्ति की प्रकार्यात्मक क्षमता की उपेक्षा करती है। व्यक्ति कभी भी सम्पूर्ण जीवन में एक ही कार्य नहीं करना चाहता, वह एक से अधिक कार्य क्षमता व कार्यों की विभिन्नता से जुड़ा रहता है, लेकिन वर्ण–व्यवस्था व्यक्ति की केवल एक ही कार्यकुशलता और क्षमता का वर्णन करती है जो कि तथ्यविहिन, अतार्किक और अवैज्ञानिक मुद्दा है। अम्बेडकर का मत था कि व्यक्ति का व्यक्तित्व अनेकों भूमिकाएं और अनेक दक्षताओं का समावेश है उसमें इतने परिवर्तन होते हैं कि चारों वर्ण आज भारतीय समाज में हजारों जातियों में परिवर्तित हो गए हैं।

डॉ. अम्बेडकर ने वर्ण–व्यवस्था का इस कारण भी खण्डन किया कि शूद्र वर्ण को निरन्तर, हेय और अपमानित समझा गया। शूद्र वर्ण को तीनों वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्य) के अधीनस्थ और संरक्षित मान लिया गया, जो कि अनुचित था। अम्बेडकर का आरोप था कि संरक्षक तीनों (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) ने ही शूद्र वर्ण का शोषण किया। संरक्षक ही भक्षक बन गए। तीनों वर्णों के लोग जो अत्याचार, अन्याय और शोषण करते थे, सामाजिक संहिताकारों ने शूद्र वर्ण के हितों की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं की। शूद्रों के प्रति हो रहे अत्याचार का सभी शास्त्र मौन रूप से समर्थन करते थे। शास्त्रों ने शूद्र वर्ण के लोगों को सम्पत्ति अर्जित करने के अधिकार से भी वंचित रखा।

डॉ. अम्बेडकर ने 'मनुस्मृति' की कटु आलोचना की थी। अम्बेडकर ने कहा कि मनु की सामाजिक संहिता सामाजिक अन्याय का क्रूरतम स्वरूप है। अम्बेडकर के शब्दों में सामाजिक सन्दर्भों में मनुस्मृति / मनु संहिता निंष्टतम है। सामाजिक अन्याय का कोई भी अन्य उदाहरण मनु संहिता की तुलना में फीका लगेगा।

अम्बेडकर के शब्दों में सवर्णो ने शूद्र वर्ण को शिक्षा प्राप्त करने, सुरक्षा हेतु शस्त्र रखने आदि से इसलिए वंचित किया कि वे अपने विरुद्ध हो रहे अन्याय का प्रतिकार, विरोध नहीं कर सके।

डॉ. अम्बेडकर की मान्यता थी कि सवर्णों ने जान–बूझकर शूद्र वर्ण पर प्रतिबन्ध अपनी सुरक्षा हेतु लगाए थे। अम्बेडकर ने कहा कि अगड़े और पिछड़े वर्गों का संघर्ष विश्व के सभी राष्ट्रों में हुआ है। लेकिन शूद्रों की जितनी खराब और शोचनीय स्थिति भारत में रही है वैसी कहीं नहीं रही। अन्य राष्ट्रों के पिछड़े वर्गों को अपने अधिकारों हेतु संघर्ष करने के समुचित अवसर मिले, लेकिन भारत के शूद्र को प्रतिकार करने का कोई अवसर और अधिकार नहीं दिया गया। यूरोपीय राष्ट्रों के दलितों को सैनिक सेवा, राजनीतिक मताधिकार, शिक्षा प्राप्ति के अवसर, भौतिक और नैतिक सम्बल प्रदान किया गया। उनका समुचित विकास किया गया लेकिन भारत के शूद्रों को तीनों वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) ने सभी अधिकारों से वंचित रखा। डॉ. अम्बेडकर के शब्दों में 'भारत

के शूद्र तीनों उच्च वर्णों की दया पर जीवित रहे। वे अपनी उन्नति और विकास के लिए संगठित होकर संघर्ष नहीं कर सके। शूद्र वर्ण को सामर्थ्य, क्षमता, प्रेरणा और अवसरों से वंचित रखा गया।

डॉ. अम्बेडकर का तर्क था कि पुरुष–सूक्त के अतिरिक्त ऋग्वेद और अन्य सभी शास्त्रों में केवल तीन वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) का ही वर्णन है। वहीं शतपथ और तैतिरीय ब्राह्मणों में भी केवल तीन वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) का ही वर्णन है। चौथे वर्ण (शूद्र) की कहीं कोई व्याख्या नहीं है।

डॉ. अम्बेडकर की मान्यता थी कि शास्त्रों में क्षत्रिय और ब्राह्मणों के संघर्ष का बहुत बार वर्णन है। लेकिन इस तथ्य और घटना की उपेक्षा की गई है कि वास्तव में शूद्र क्षत्रियों की ही एक शाखा है।

डॉ. अम्बेडकर ने ब्राह्मण वर्ग, मनु और याज्ञवल्क्य जैसे रचनाकारों पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने बलात् रूप से शूद्रों को हीन स्थिति में डाला है। ब्राह्मणों ने घृणा व प्रतिशोध के कारण शूद्रों का उपनयन संस्कार बन्द करके धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों से वंचित कर दिया। उसके बाद शास्त्रों के रचनाकारों ने जानबूझकर शूद्रों को वर्ण– व्यवस्था का अंग नहीं माना और उन्हें हीन बनाने का निरन्तर प्रयास किया। डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि शूद्रों का हीन होना कोई स्वाभाविक घटना नहीं है। शूद्रों को जागरूक बनाने के लिए उनकों सामाजिक न्याय और सामाजिक–समानता तथा सद्भाव हेतु डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि वे 'मनुस्मृति' के विरुद्ध प्रभावी संघर्ष करें। अपने वर्ग को विकास की दशा में लाकर खड़ा करें और सम्मान, न्याय, समानता की स्थापना का निरन्तर संघर्ष करें।

डॉ. अम्बेडकर ने जाति प्रथा का विरोध किया। वे उच्च जातीय अंहकार और निम्न–जातीय अंहकार का खण्डन करते थे। जाति–प्रथा ही वह कारण है जिसके आधार पर शूद्र–वर्ग अस्पृश्य और हीन हो गया था। जाति प्रथा शोषण का प्रतीक थी। समाज के कुछ स्वार्थी और शक्तिशाली लोग कमजोर वर्गों के लोगों से उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवा कर उनका शोषण करते थे। जाति व्यवस्था ने शूद्रों के विकास के सारे मार्ग बन्द कर दिए थे। वे शारीरिक और मानसिक रूप से अपाहिज हो गए थे। अम्बेडकर ने कहा कि जाति–प्रथा संकीर्णता की पर्याय है। जाति प्रथा से सामूहिक और सामाजिक वर्ग–चेतना का पतन होता है। व्यक्ति अपनी इच्छा से कार्य नहीं कर पाता है। द्वेष, घृणा और असमानता की भावना बलवती होती है, जाति प्रथा व्यक्ति की कार्य क्षमता, योग्यता और सौहार्द का पतन करती है।

डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि अन्तर्जातीय विवाह से ही जाति प्रथा को नष्ट किया जा सकता है। सहभोज किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हिन्दू धर्म की सबसे बड़ी खराबी जाति प्रथा है।

संकीर्णता

डॉ. अम्बेडकर की मान्यता है कि जातिवाद संकीर्णता का सूचक है। प्रत्येक जाति संकीर्ण अर्थों में अपने स्वार्थ के बारे में ज्यादा सोचती है। इसी कारण वह दूसरी जाति के साथ अपने सम्बन्ध बना ही नहीं पाती। प्रत्येक जाति अपने आप को विशिष्ट बनाने के लक्ष्य से अन्य जातियों से पृथक रहने का प्रयास करती है । राष्ट्रीय–चेतना का भाव कमजोर होता है एकता तथा सद्व्यवहार में कमी आती है। डॉ. अम्बेडकर के शब्दों में जाति–प्रथा का ही परिणाम है कि हिन्दू–समाज में राष्ट्रीय चेतना, सामुदायिक एकता व विकास की भावना का विकास नहीं हो पाया है। इसी जाति प्रथा ने हिन्दू–समाज को विखण्डित किया है।

रूढ़िवादिता

जाति प्रथा रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है। इसके कारण व्यक्ति अविवेकी व अदूरदर्शी हो जाता है। कई बार व्यक्ति जातिगत प्रभाव के कारण उन रूढ़ियों का भी पालन करता है जो कि अतार्किक और अवैज्ञानिक है। वे सदैव भय के कारण ही इनका पालन करता है। परिणामस्वरूप उसकी प्रतिष्ठा में कमी आती है। डॉ. अम्बेडकर ने जाति–प्रथा की आलोचना करते हुए कहा कि इससे व्यक्ति का विकास नहीं वरन् पतन ही होता है।

संकीर्ण वैवाहिक सम्बन्ध

जाति–प्रथा 'बन्द–द्वार' की एक संकीर्ण प्रथा है। सजातीय विवाह संकीर्ण होते हैं। वे केवल स्वजातीय वर–वधु तक ही सीमित होते हैं। वे अन्तर्जातीय विवाह को हेय दृष्टि से देखते हैं। एक जाति से बहिष्कृत व्यक्ति भी मिलकर अपनी नवीन जाति बना लेते हैं। और वे भी अपनी ही जाति की घोर संकीर्ण रूढ़ियों में जकड़ जाते हैं। डॉ. अम्बेडकर के समय में अन्तर्जातीय विवाह पर प्रतिबन्ध था। आज भी हिन्दू–समाज में अन्तर्जातीय विवाह पर प्रतिबन्ध है। व्यक्ति अपनी ही जाति की बुराइयों तक सीमित रहता है। वह बाह्य अच्छाईयों को जान भी नहीं पाता।

सामाजिक द्वेष

जाति–प्रथा सामुदायिकता के लिए एक घातक हथियार है। जाति–प्रथा से सामाजिक समरसता में कमी आती है। सामुदायिक – घृणा व द्वेष का वातावरण उत्पन्न होता है। लोग एक–दूसरे के प्रति असहिष्णु हो जाते हैं। जातीय – अभिमान और जातीय–उच्चता, संघर्ष और तनाव को बढ़ावा देती हैं। डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने–अपने जातीय गौरव की गाथा करने में अभिमान महसूस करता है और दूसरी जातियों की हीनता की आलोचना करके आनन्द लेता है। अतः जाति–प्रथा सामाजिक द्वेष व संघर्ष को बढ़ावा देती है। आपसी विकास और सम्बन्धों का पतन करती है।

जाति–व्यवस्था के घातक प्रभाव

जाति–व्यवस्था के घातक परिणाम : पद सोपानता, अक्षमता, स्थायित्व, राजनीतिक संस्कृति का विखण्डन, उदासीनता और अकर्मण्यता और दूषित मतदान आदि प्रमुख हैं।

डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि हिन्दू–समाज को धर्म के आधार पर पुनर्गठित किया जाना चाहिए और धार्मिक क्षेत्र में समानता, सम्मान, स्वतन्त्रता और भाईचारे के सिद्धान्त को सर्वोपरि महत्त्व दिया जाना चाहिए। समाज में वर्ण से सम्बन्धित धार्मिक समर्थन को समाप्त करना चाहिए। समाज में से वर्ण–व्यवस्था, वर्णों की श्रेष्ठता हीनता आदि सिद्धान्तों को त्याग कर एक उदारवादी प्रतिबद्ध समाज की स्थापना का प्रभावी प्रयास किया जाना चाहिए।

डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि जो समाज, समानता और न्याय के सिंद्धान्तों पर आधारित होगा वही सच्चे अर्थों में लोकतन्त्र सफल और सार्थक होगा। डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि इस लक्ष्य से भारत में सामाजिक संस्थाओं और राजनीतिक, सवैधानिक–संस्थाओं के मध्य एक सन्तुलित समन्वय स्थापित करने की महती आवश्यकता है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृत्व के आदर्शों की स्थापना करनी होगी। ऐसी नीतियों का निर्माण करना होगा, जहां प्रत्येक मानव बिना किसी भेदभाव के सामाजिक हितों को प्रोत्साहन और संरक्षण देने के लिए अपनी क्षमता और विवेक का प्रयोग कर सके। डॉ. अम्बेडकर की मान्यता थी कि भारत में अनेक प्रकार की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विभिन्नताओं में समन्वय स्थापित करने की महती आवश्यकता है और यह तभी होगा जबकि हम हमारे धार्मिक–विश्वास, सामाजिक–परम्पराएं, रीति–रिवाज आदि से सम्बंद्ध कट्टरता, रूढ़िवादिता, संकीर्णता आदि को समाप्त करके एक उदारवादी दृष्टिकोण अपनाएं। डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि हमें एक समान नागरिक–संहिता लागू करने की आवश्यकता है तथा आवश्यकता इस बात की है कि धार्मिक व भाषायी सहिष्णुता को प्रोत्साहन देकर उसका उसका पालन करें। डॉ. अम्बेडकर ने सामाजिक लोकतन्त्र की स्थापना पर अत्यधिक बल दिया।

सम्पूर्ण भारत में सामाजिक–समता और समरसता का प्रश्न मुख्य रूप से सबके सामने प्रकट कराने वाले विचारक, संगठनकर्ता के रूप में डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर का नाम सर्वोपरी है। •

भारत का आतंक के विरुद्ध निर्णायक कदम

• जीवीएल नरसिम्हा राव

7 मई की रात को पाकिस्तान के आतंकी संगठनों, लश्कर–ए–तैयबा (एलईटी) और जैश–ए–मोहम्मद के मुख्यालयों तथा प्रशिक्षण ठिकानों पर सटीक हमले करने में भारत की अभूतपूर्व क्षमताओं को दुनिया ने देखा। आपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति में एक आदर्श बदलाव का संकेत देता है। नया सिद्धांत सीमा पार से आतंकवाद के किसी भी कृत्य को युद्ध की कार्रवाई मानता है। अब भारत आतंकियों को दंडित करने के लिए सीमा पार जाकर आक्रामकता से मुकाबला करेगा।

ऐसे समय में जब पूरे देश में राष्ट्रवाद का जोश है और हमारे सशस्त्र बलों पर गर्व किया जा रहा है, कांग्रेस द्वारा सैन्य संघर्ष की अचानक समाप्ति पर सवाल उठा कर सरकार की सफलता को नकारने का प्रयास किया जा रहा है। संघर्ष विराम के समय और अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इसकी पूर्व घोषणा पर सवाल उठा कर कांग्रेस ने एक ऐसा विचार गढ़ने का प्रयास किया हैं कि भारत ने 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला था। आपरेशन सिंदूर की योजना लश्कर और जैश–ए–मोहम्मद के खिलाफ एक तेज और दंडात्मक हमले के रूप में बनाई गई थी। इसका उद्देश्य कभी एक लंबा, पूर्ण विकसित, बिना रोक–टोक वाला युद्ध नहीं था। अपना मकसद हासिल करने के बाद, तब तक आपरेशन जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जब तक पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई नहीं करता। सात मई की सुबह आधिकारिक प्रेस वार्ता में ही यह स्पष्ट कर दिया गया था। सिंधु जल संधि को निलंबित करके पाकिस्तान पर भारी दबाव बनाने, व्यापार प्रतिबंध लगाने और उसके आतंकी ढांचे तथा हवाई ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद भारत ने पाकिस्तान के संघर्ष विराम प्रस्ताव पर सहमति जताई थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन–सा देश किसकी तरफ से पहल करता है, जब तक कि परिणाम हमारे उद्देश्यों के अनुरूप हों।

राहुल गांधी को अपनी पार्टी के वरिष्ठ सांसदों, शशि थरूर और पी चिदंबरम के विचारों पर ध्यान देना चाहिए था, जिन्होंने संघर्ष विराम के फैसले का समर्थन किया था। दोनों ही राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश मामलों के अनुभवी हैं। चिदंबरम ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने व्यापक युद्ध के खतरों को पहचान लिया और बुद्धिमानी से चुनिंदा लक्ष्यों तक सीमित एक संतुलित सैन्य प्रतिक्रिया का चयन किया है। शशि थरूर ने कहा कि भारत जो सबक देना चाहता था, वह दे दिया गया है।

भारत ने दृढ़ इच्छाशक्ति का

परिचय दिया और आतंकियों को दंडित करने के लिए एक सशक्त और आक्रामक दृष्टिकोण अपनाया है। चाहे वह उरी, पुलवामा या पहलगाम में आतंकी घटनाएं हों, भारत ने लक्षित और हवाई हमले कर जघन्य कृत्य करने वाले आतंकियों, संचालकों और प्रायोजकों को दंडित किया है। प्रत्येक कार्रवाई के साथ, भारतीय हमल पाकिस्तान में और अधिक गहरे होते गए, अधिक लक्षित तथा साहसी होते गए। इन सभी अवसरों पर दुनिया ने भारत का समर्थन किया।

इसके विपरीत, वर्ष 2004 से 2014 तक कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से निपटने में निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाया। यहां तक कि 26/11 के भयावह मुंबई हमले, जिसमें 175 निर्दोष लोगों की जान चली गई। मगर भारत सरकार की ओर से कोई ठोस जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। राष्ट्रीय कार्रवाई की मांग कर आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को दूसरे देशों के कंधों पर डाल दिया, लेकिन आतंकवादियों को न्याय के कमरे में लाने के लिए अपनी ओर से कोई जवाबी कार्रवाई की योजना नहीं बनाई। यह दृष्टिकोण 26/11 मुंबई हमले के बाद 11 दिसंबर, 2008 को संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान से स्पष्ट है। उन्होंने कहा, ''हमें अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद के केंद्र, जो पाकिस्तान में स्थित है, से सख्ती और प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रेरित करना होगा। आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को स्थायी रूप से नष्ट करना होगा. .. अंतरराष्ट्रीय समुदाय की राजनीतिक इच्छाशक्ति को जमीन पर ठोस और निरंतर कार्रवाई में बदला जाना चाहिए।''

यूपीए सरकार की उस वक्त की प्रतिक्रिया में न तो पाकिस्तान के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मंशा दिखाई दी और न ही उसे कोई चेतावनी दी गई। जवाबी कार्रवाई के लिए कांग्रेस की राजनीतिक इच्छाशक्ति तब भी नहीं थी, जब हमारे सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों के खिलाफ लक्षित हमले करने की इच्छा व्यक्त की थी। उस समय के एअर चीफ मार्शल फली होमी मेजर ने बाद में खुलासा किया कि 26/11 हमले के दो दिन बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ बैठक में उन्होंने अन्य दो सेना प्रमुखों की मौजूदगी में कहा था कि भारतीय वायु सेना नियंत्रण रेखा के पार लक्षित हमले के लिए तैयार है, लेकिन सरकार ने उनकी योजनाओं को हरी झंडी नहीं दी। ऐसे में क्या कांग्रेस के पास प्रधानमंत्री पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार है?

कांग्रेस द्वारा आपरेशन सिंदूर की तुलना 1971 के भारत–पाकिस्तान युद्ध करना सही नहीं है, क्योंकि हर संघर्ष का एक संदर्भ होता है। 1971 का भारत–पाकिस्तान युद्ध पूर्वी पाकिस्तान में दमनकारी पाकिस्तानी सैन्य शासन के अत्याचारों के खिलाफ आठ महीने लंबे गृहमुद्ध के बाद लड़ा गया था। पाकिस्तान की आंतरिक समस्या भारत के लिए एक आंतरिक समस्या बन गई थी। विदेशी सहायता और मुद्रा कोष, विश्व बैंक ऋण पर निर्भर भारत की डांवाडोल अर्थव्यवस्था के समय इंदिरा गांधी ने उचित समझा कि भारत के लिए पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप करना आर्थिक रूप से फायदेमंद है, बजाय इसके कि एक करोड़ शरणार्थियों का अपनी अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ने दिया जाए। इसके अलावा, इंदिरा गांधी के पास युद्ध की तैयारी करने और कूटनीतिक संपर्कों का उपयोग कर अंतरराष्ट्रीय समर्थन हासिल करने के लिए आठ महीने का समय था। इनमें से कोई भी आज प्रासंगिक नहीं है।

आपरेशन सिंदूर की तुलना 1971 के भारत–पाकिस्तान युद्ध से करने का प्रयास अनुचित है, क्योंकि दोनों के संदर्भ अलग–अलग हैं। एक घटना की सफलता और परिणामों को दूसरे के चश्मे से देखना संकीर्ण और तर्कहीन है। आज भारत के हित में नया 'मोदी सिद्धांत' है। पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए संदेश स्पष्ट है। भारत के पास बड़े विकास लक्ष्य हैं और वह उन्हें हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाना चाहता है। अगर पाकिस्तान हमारी शांति भंग करने और हमें अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने से विचलित करने की कोई कोशिश करता है, तो भारत उसे कड़ा सबक सिखाएगा। चीनी विचारक सुन त्यु ने अपनी पुस्तक में लिखा है, ''वही जीतेगा जो जानता है कि कब लड़ना नहीं लड़ना है।'' प्रधानमंत्री भी यह बात अच्छी तरह जानते हैं।

भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध तभी लड़ेगा, जब ऐसा करना उसकी प्रगति के हित में हो और इसलिए नहीं कि कांग्रेस पार्टी या कुछ कट्टरपंथी ऐसा चाहते हैं। •

हिमायती
हिन्दी पाक्षिक पत्र
अम्बेडकर मिशन का प्रतिनिधि पत्र है। इसे मंगाइये, पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइये। इससे जन चेतना जागृत होगी और दलित संघर्ष तीव्र होगा। इसका सहयोग वार्षिक शुल्क 100/- मनीआर्डर से आज ही भेजें–
सम्पादक :
हिमायती
बी 3/9, दूसरी मंजिल,
माडल टाउन-1, दिल्ली-9
मो. 9810278936

आज भी बोलता है बुद्ध का मौन

• शास्त्री कोसलेन्द्रदास

गौतम बुद्ध भारतीय इतिहास में ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व थे, जिनकी छवि धर्म, दर्शन, सामाजिक सुधार और मानवता के क्षेत्र में युगांतरकारी सिद्ध हुई। वे केवल धर्मगुरु नहीं थे, अपितु मानवता के हितचिंतक, नैतिकता के मार्गदर्शक और आत्मजागरण के अग्रदूत थे।

धर्म और दर्शन की नई शुरुआत

शताब्दियों पहले जब भारतवर्ष कर्मकांड, पशुबलि और जातिगत भेदभाव में उलझा था, बुद्ध ने अपने करुणामय विचारों से जनमानस को एक ऐसे मार्ग की ओर प्रेरित किया, जो आत्मानुशासन और नैतिक आचरण पर आधारित था। बुद्ध ने आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग और मोक्ष जैसे जटिल दार्शनिक प्रश्नों पर विचार करने की अपेक्षा व्यावहारिक जीवन की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया। उनके अनुसार, यह जानना जरूरी नहीं कि आत्मा या ईश्वर है या नहीं, क्योंकि ऐसे विचार मुक्ति नहीं दिलाते।

चार आर्य सत्य और मध्यम मार्ग

बुद्ध का सम्पूर्ण दर्शन चार आर्य सत्यों पर आधारित है संसार दुःखमय है, दुःख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का विधान संभव है और इसका निरोध संभव है। उनका बताया मार्ग अष्टांगिक है। उन्होंने इंद्रिय भोग और कठोर तपस्या, दोनों अतिरेकों को अस्वीकार करते हुए मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। यही मार्ग उन्हें संबोधि और निर्वाण की ओर ले गया।

सामाजिक समता और नैतिक क्रांति

बुद्ध का धर्म किसी जाति, लिंग या वर्ण तक सीमित नहीं था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मोक्ष का अधिकार केवल किसी जाति तक सीमित नहीं है, अपितु जो सत्य, धर्म, संयम और शील का पालन करता है, वही सच्चा ब्राह्मण है। धम्मपद में बुद्ध कहते हैं–**न जटाहि न गोत्तेन न जच्चा होति ब्राह्मणो। यम्हि सच्चं च धम्मो च सो सुखी सो च ब्राह्मणो।** तात्पर्य है कि ब्राह्मणत्व न तो जटाओं, न गोत्र से और न जन्म से आता है, वह केवल सत्य और धर्म के पालन से प्राप्त होता है।

मोक्ष के लिए आत्म–प्रयास

बुद्ध ने ईश्वर या आत्मा के अस्तित्व को सीधे नकारा नहीं, परंतु उस पर मौन रहकर यह संकेत दिया कि मुक्ति के लिए यह चर्चा आवश्यक नहीं है। उन्होंने बार–बार बल दिया कि व्यक्ति को स्वयं अपने प्रयत्नों से दुःखों से मुक्ति पानी चाहिए न कि किसी अदृश्य शक्ति की आराधना पर निर्भर रहना चाहिए।

धर्म को विस्तार और स्तूप निर्माण

बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके विचारों का प्रभाव इतना व्यापक हुआ कि भारत से बाहर एशिया के अनेक देशों में उनका धर्म फैल गया। सम्राट अशोक के काल में बौद्ध धर्म को राज्याश्रय मिला। अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को चौरासी हजार भागों में विभाजित कर पूरे देश में स्तूपों का निर्माण कराया। यह स्मारक बौद्ध प्रचार और आस्था का केंद्र बन गए।

हीनयान और महायान

बौद्ध धर्म धीरे–धीरे दो प्रमुख धाराओं में विभाजित हुआ। हीनयान और महायान। हीनयान या थेरवाद परंपरा बुद्ध की मूल शिक्षा, व्यक्तिगत मोक्ष, नैतिक आचरण, ध्यान और विरक्ति पर आधारित रही। महायान ने सेवा, भक्ति और करुणा पर अधिक बल दिया। इसमें बोधिसत्व की अवधारणा उभरकर आई।

इसके अनुसार लोग स्वयं मोक्ष प्राप्त करने की बजाय सबकी सहायता के लिए जन्म लेते रहे। इस विचार ने चीन, जापान, कोरिया और तिब्बत जैसे देशों में बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाया।

विष्णु के अवतार के रूप में बुद्ध

10वीं शताब्दी तक आते–आते बुद्ध वैदिक धर्म में समाहित हो गए। संस्कृत के अनेक ग्रंथों ने उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना है। कश्मीरी कवि क्षेमेन्द्र के दशावतारचरित तथा उड़ीसा के जयदेव के गीतगोविन्द में बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकार किया गया है। इस समावेशन से बुद्ध की एक पृथक धर्म संस्था के रूप पहचान धीरे–धीरे लुप्त होती चली गई।

बुद्ध की प्रतिमा और कला

बुद्ध की मूर्ति न केवल धार्मिक प्रतीक बनी, अपितु भारतीय मूर्तिकला में इसका विशिष्ट स्थान रहा है। अग्निपुराण अनुसार बुद्ध की प्रतिमा में शांत मुद्रा, गौर वर्ण, लंबे कान, पद्मासन तथा वरद और अभय मुद्रा होनी चाहिए। यह छवि आज संपूर्ण विश्व में शांति और ध्यान का प्रतीक बन चुकी है।

सदा प्रासंगिक है बुद्ध

बुद्ध की शिक्षा आज भी उतनी ही उपयोगी है जितनी 2500 वर्ष पहले थी। उनके अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक कल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि है। यह शक्ति के आत्मिक, सामाजिक और नैतिक विकास का पूर्ण है।

उन्होंने जो कहा, वह आज के नावग्रस्त समाज के लिए अमूल्य संबल है–

अप्प दीपो भव यानी
अपने लिए दीप स्वयं बनो।•

स्वामी, सम्पादक/ प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर द्वारा वन्दना आफसेट प्रिन्टर्स, A-9 सराय पीपलथला एक्सटेंशन, दिल्ली-33 में मुद्रित तथा रजि. कार्यालय : 233 टैगोर पार्क, माडल टाउन, दिल्ली-9 से प्रकाशित। ❑ सह सम्पादक एवं व्यवस्थापक - जय सुमनाक्षर, मो. 9810278936 **Email-sumanakshar@ymail.com**

नोट : हिमायती में प्रकाशित रचनाओं के लिए सम्पादक की सहमति जरूरी नहीं। हिमायती से सम्बन्धित किसी भी कानूनी कार्रवाई का क्षेत्र दिल्ली न्यायालय तक ही सीमित है।

सम्पादकीय कार्यालय : बी 3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन-1, दिल्ली-110009